प्रेस नोट दिनांक- 28.08.2021

पुलिस लाइन इटावा में बाल संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा द्वारा बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण के संबंध में बाल संरक्षण संबंधी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन इटावा में कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

कार्यशाला का विवरण-

कार्यशाला मे पूर्व मे दिये गये दिशा निर्देशो के सम्बन्ध मे बाल कल्याण अधिकारियो से जानकारी की गई तथा बाल कल्याण अधिकारियो को बालको के सम्बन्ध मे जे0जे0 एक्ट मे दिये गये प्रावधानो से अवगत कराया गया एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह द्वारा इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी गयी । पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा कार्यशाला मे उपस्थित सभी अधिकारी /कर्मचारी से जानकारी करते हुए यथोचित विधि सम्मत बच्चो के सम्बन्ध मे कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये गये जिनका विवरण निम्नवत है।

1. सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अवगत कराया गया कि किसी बच्चे के मिलने पर संरक्षक न मिल पाने पर 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के समक्ष मेडिकल कराकर पेश किया जाये किसी भी बच्चे को किसी के कहने पर किसी व्यक्ति के सुपुर्द नही किया जाये ।
2. गुमशुदा बच्चो के सम्बन्ध मे उनके परिवारीजन को थाने आने पर सहानुभूतिपूर्वक वार्ता करे । जिससे बच्चे की बरामदगी जल्दी की जा सके ।
3. सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को कानून का उल्लघन करने वाले बालकों के बारे में बताया गया और इनमें कार्यवाही के बारे में भी जानकारी दी गई ।
4. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 व 78 के सम्बन्ध मे बताया गया जिसमे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को नशीला पदार्थ बेचना अपराध की श्रेणी मे आता है
5. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 व 78 के अन्तर्गत किसी स्कूल या कॉलेज में कोई बच्चा नशीला पदार्थ खरीदता या बेचता पाया जाता है तो प्रधानाचार्य सम्बन्धित थाना मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे।
6. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मादक पदार्थो व शराब का क्रय न करे इसके लिए सम्बन्धित दुकानो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरो की व्यवस्था की जाये तथा अन्य सम्बन्धित विभागो से समन्वय स्थापित कर बच्चो की सुरक्षा व बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करे।
7. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 व 78 के अन्तर्गत दोषी पाये गये व्यक्तियो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे तथा पुलिस मादक पदार्थो के सेवन व अवैध तस्करी से सम्बन्धित बच्चो की सूची का रिकार्ड सुनिश्चित करे।

कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी डा0 शैलेन्द्र शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह, विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्मचारी गण, थानो पर तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व एक एक आरक्षी व महिला आरक्षी उपस्थित रहे ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा